शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 02.04.2024

पुवायाँ पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुखविर की सूचना पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ बलात्कार करने वाले व 8 माह तक छुपाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन , पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री संजीव कुमार वाजपेयी व क्षेत्राधिकारी पुवायाँ श्री पंकज पंत के कुशल प्रयवेक्षण मे चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम मे पुवायाँ पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुखविर की सूचना पर नाबालिग लड़की को वहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ बलात्कार करने वाले व 8 माह तक छुपाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तारः

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 14.07.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना पुवायाँ पर तहरीर देकर मुकदमा लिखाया गयी उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया था। उक्त घटना को श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ श्री प्रदीप कुमार राय को तत्काल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। वर्तमान मे अभियोग की विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ द्वारा की जा रही है। दौरान विवेचना दिनांक 27.03.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपर्हता को बरामद कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण व बयान अन्तर्गत धारा 161/164 द0प्र0स0 अभिलिखित कराये गये। पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट तथा शैक्षिक प्रपत्रो के अवलोकन के आधार पर अभियोग मे नामित अभिषेक उपरोक्त के विरूद्ध धारा 376(3)/323/506 भादवि व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 02.04.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक पुत्र राजेश निवासी ग्राम उचौसिया झादा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली, पुलिस व न्यायालय से अपने आप को बचाने के लिए कहीं भागने की फिराक में मोहम्मदी मोड पर खड़ा है अगर जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है । मुखबिर की सूचना पर हम पुलिस वालो ने भागने का मौका दिया बिना मोहम्मदी मोड पर एक व्यक्ति को पकड लिया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम अभिषेक पुत्र राजेश निवासी ग्राम उचौसिया झादा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली उम्र करीब 22 वर्ष बताया । यही मुकदमा हाजा का वाछिंत अभियुक्त है अतः इसको कारण गिरफ्तारी बताकर मोहम्मदी मोड से समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिसको बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभिषेक पुत्र राजेश निवासी ग्राम उचौसिया झादा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

1. मु0अ0सं0 541/23 धारा 363/366/376(3)/323/506/368 भादवि व 3/4(2) पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.श्री पंकज पंत क्षेत्राधिकारी पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2.श्री प्रदीप कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3.उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4.का0 2266 अभिषेक थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर